मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

कमांक 2020/सी–2/134 भोपाल, दिनांक 30.4.2020

आदेश

कृपया इस कार्यालय के आदेश कमांक 2020/सी–2/18, भोपाल, दिनांक 30.3.2020 एवं क. 27/2020/सी–2,ददिनांक 2.4.2020 का अवलोकन करें। देश भर में लॉक डाउन के कारण मध्यप्रदेश के अनेक नागरिक–श्रमिक, विद्यार्थी, दर्शनार्थी एवं अन्य प्रोफेशनल आदि अन्य राज्यों में रूके हुये हैं। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों के उक्त प्रकार के नागरिक मध्यप्रदेश में रूके हुये हैं। वे सब अपने–अपने प्रदेश एवं घर जाने को इच्छुक हैं।

भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्र. 40–3/2020–डी.एम–1(ए) 29 अप्रैल,2020 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। गृह मंत्रालय द्वारा इस तरह के व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति कुछ शर्तों के साथ प्रदान की गई है, जिसमें संबंधित राज्यों से समन्वय करना मुख्य है।

उक्त तारतम्य में पूर्व से नामांकित निम्नलिखित अधिकारियों को विभिन्न प्रदेशों से समन्वय कर फंसे हुये लोगों के आवागमन सुगम एवं सुचारू रूप से सम्पादित करने का दायित्व सौपा जाता है :–

क्र.	भाप्रसे (I.A.S) अधिकारी का नाम,पदनाम, बैच	मोबाइल नं	आवंटित राज्य
1.	श्री मलय श्रीवास्तव (1990), प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग,	94245–99400	गुजरात एवं राजस्थान
2.	श्री मनु श्रीवास्तव (1991), प्रमुख सचिव, एमएसएमई विभाग	94258–05440	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पंजाब
3.	श्री नीरज मंडलोई (1993), प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग,	97177–48689	दिल्ली एवं हरियाणा
4.	श्रीमती दीपाली रस्तोगी (1994), प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग	94258–20100	महाराष्ट्र, झारखण्ड
5.	श्रीमती आईरिन सिंथिया जे.पी. (2008), संचालक राज्य शिक्षा केंद्र	94251–72700	तमिलनाडु एवं केरल, पाण्डीचेरी
6.	श्री वी किरण गोपाल (2008), प्रबंध संचालक म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर	94251–63993	आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ, ओडिसा एवं उत्तर–पूर्वी राज्य
7.	श्री इलैया राजा टी (2009), प्रबन्ध संचालक, लघु उद्योग निगम, भोपाल	98937–75673	कर्नाटक एवं गोवा

उपरोक्त अधिकारीगण उन्हें आवंटित प्रदेश के समन्वय अधिकारियों, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भोपाल एवं मध्यप्रदेश के जिला प्रशासन के साथ आवश्यक समन्वय कर फंसे हुये लोगों को सुरक्षित एवं प्रोटोकाल का पालन करते हुये दोनों ओर का आवागमन सुनिश्चित करेंगे। सभी नोडल अधिकारी प्रतिदिन एक प्रतिवेदन, उस दिन के किये गये कार्य के संबंध राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम के श्री संजय दुबे,भा.प्र.से. को उपलब्ध करायेंगे।

Scanned with CamScanner

फंसे हुये लोगों के आवागमन की व्यवस्था बनाने में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाये।

(एस.एन.मिश्रा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

कमांक 135 /2020/सी–2 भोपाल,दिनांक 30.4.2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय
3. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम, भोपाल
4. श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास
5. सर्वसंबंधित अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश
8 समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
9 समस्त जोनल अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश
10 समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मध्यप्रदेश
11 समस्त पुलिस अधीक्षक मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

Scanned with CamScanner

E-Mail

No.40-3/2020-DM-I (A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001
Dated 29th April, 2020

ORDER

In continuation of Ministry of Home Affairs's Orders No.40-3/2020-DM-I(A) dated 15th April, 2020, 16th April, 2020, 19th April 2020, 21st April 2020 and 24th April 2020 and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby orders ***to include*** the following in the consolidated revised guidelines for strict implementation by Ministries /Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State /Union Territory Authorities:

Sub-clause (iv) under Clause 17 on Movement of persons:

iv. Due to lockdown, migrant workers, pilgrims, tourists, students and other persons are stranded at different places. They would be allowed to move as under:

a. All States/ UTs should designate nodal authorities and develop standard protocols for receiving and sending such stranded persons. The nodal authorities shall also register the stranded persons within their States/ UTs.

b. In case a group of stranded persons wish to move between one State/ UT and another State/ UT, the sending and receiving States may consult each other and mutually agree to the movement by road.

c. The moving person (s) would be screened and those found asymptomatic would be allowed to proceed.

d. Buses shall be used for transport of groups of persons. The buses will be sanitized and shall follow safe social distancing norms in seating.

e. The States/ UTs falling on the transit route will allow the passage of such persons to the receiving State/ UT.

f. On arrival at their destination, such person(s) would be assessed by the local health authorities, and kept in home quarantine, unless the assessment requires keeping the person(s) in institutional quarantine. They would be kept under watch with periodic health check-ups. For this

Scanned with CamScanner

purpose, such persons may be encouraged to use ***Aarogya Setu*** app through which their health status can be monitored and tracked.

The guidelines of the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) on Home Quarantine, dated 11.03.2020 may be referred to in this regard, which are available at https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforhomequarantine.pdf.

29/04/202

Home Secretary

To: **(As per list attached)**

1. The Secretaries of Ministries /Departments of Government of India
2. The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories

Copy to:

i) All members of the National Executive Committee.
ii) Member Secretary, National Disaster Management Authority.

Scanned with CamScanner